मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 11/प्र0–05–51/2021/1025 (अनु0)   पटना, दिनांक– 13.4.22

प्रेषक,

ई0 राजीव नयन प्रसाद सिंह,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–4 (मुख्यालय),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष एफ0डी0आर0 योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल 02 (दो) योजनाओं पथ का मरम्मति एवं पाँच वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक 220 अनु0 दिनांक 17.02.2022

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन स्वीकृत पथों के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में 20% से अधिक की मद विचलन एवं नए मद का प्रावधान होने के कारण पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्रीय अभियंताओं के लिए आवश्यक निदेश के साथ विभागीय स्वीकृति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	पथ का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (मूल कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (मूल कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Koilwar/ Barhara, Koilwar Babura Path (Daulatpur Boring) To Barhara Prakhand Mukhyalay	10.500	Letter N0-516 Date-24.03.2015	327.257	348.48
	Block-Koilwar/ Barhara, Keshopur Saraiya PWD Road, Sabalpur To Ara Sinha PWD Road Via Natmalpur Gyanpur Sanjoi	6.700	Letter N0-7382 Date-10.07.2017	186.071	202.579

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
13.4.22

मुख्य अभियंता–1

ज्ञापांक–1025   पटना, दिनांक– 13.4.22

प्रतिलिपि:–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक 220 दिनांक 17.02.2022 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से बिना पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति या मद विचलन/नये मद की स्वीकृति के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया जाय। उक्त स्वीकृति के पश्चात् ही पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति मान्य होगा।

13.4.22

मुख्य अभियंता–1

Pratap Developers Pvt. Ltd.
S. P. Singh
Managing Director

Scanned with Oken Scanner

T/S no -
05/13.4.22

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृतिः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरणी

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:–
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बाध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. विभागीय अनुमोदन के उपरांत मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. कार्य कितने ग्रुप में होगा, इसका अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
18. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष एफ०डी०आर० योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
19. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
20. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नही किया जाये।
21. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

Pratap Developers Pvt. Ltd.
S.P. Singh
Managing Director

Scanned with Oken Scanner

22. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

23. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्राव... अनुरूप किया जाये।

24. जिन कार्यों का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकि... को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समि... संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त... लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।

25. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी... अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

26. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

27. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपाल... अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।

28. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरात ही का... प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्का... अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

29. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं करा... जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।

30. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों... यथावत रखा गया है।

31. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुला... निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।

32. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ... कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उ... दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान कर... हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

33. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पनी मुख्यालय को ... तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।

34. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।

35. अधीक्षण अभियंता, कार्य **अंचल, आरा** से मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण क... केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति ... अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

36. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक 220 दिना... 17.02.2022 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से बिना पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति या मद विचलन/नये म... की स्वीकृति के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया जाय। उक्त स्वीकृति के पश्चात् ही पुनरीक्षि... तकनीकी स्वीकृति मान्य होगा।

विश्वासभाजन,

मुख्य अभियंता–1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Pratap Dev... ... Ltd.
S. P. Singh
Managing Director

Scanned with Oken Scanner